संख्या-185/2018/2905/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त-2018

विषय:- **उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली दिनांक-21.06.2017 के नियम-20 के अन्तर्गत गठित कमेटी की विभिन्न प्रकरणों पर विचारार्थ दिनांक 25.07.2018 को आयोजित बैठक में निर्णीत प्रकरणों में लम्बित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली दिनांक-21.06.2017 के नियम-20 के अन्तर्गत शासन स्तर पर गठित कमेटी में विभिन्न प्रकरणों पर विचारार्थ प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25-07-2018 को आयोजित बैठक में निर्णीत निम्नलिखित प्रकरणों पर वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-37800.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति धनराशि से समिति द्वारा संस्तुत किये गये शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्रों तथा कतिपय अन्य छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि **रू0-1075.87457 लाख (रू0-दस करोड़ पचहत्तर लाख सत्तासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र)** वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति से व्यय की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	संदर्भित प्रकरण	स्वीकृत धनराशि
1	रि0या0सं0-59806/2014 शोभित विश्वविद्यालय, मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28-07-2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	148.00 लाख
2	रि0या0सं0-4474/2014 सत्यम कालेज आफ मैनेजमेन्ट व रि0या0सं0-4473/2014 सत्यम कालेज आफ इंजीनियरिंग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश 06-08-2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	81.28360 लाख
3	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की वर्ष 2014-15 व 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की भुगतान की गयी धनराशि में अन्तर की देय धनराशि के सम्बन्ध में।	417.69332 लाख
4	रि0या0सं0-13868/2017 ईशान इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-04-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	28.8381 लाख
5	रिट याचिका संख्या 44672/2017 गौरी विद्यापीठ बिजनेस स्कूल, मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07-10-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	वर्ष 2014-15 में 135 छात्रों हेतु रू0 123.81000 लाख एवं वर्ष 2015-16 में 45 छात्रों हेतु रू0 43.14600 लाख
6	रिट याचिका संख्या 44680/2017	37.83480 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	गौरी विद्यापीठ एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07-10-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	
7	रिट याचिका सं0-51697/2016 राधा गोविन्द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	15.12060 लाख
8	रिट याचिका सं0-28075/एम0एस0/2016 आसलर बिजनेस स्कूल, मथुरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	4.907 लाख
9	रिट याचिका सं0-26714/एम0एस0/2016 आसलर बिजनेस स्कूल, मथुरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	29.442 लाख
10	रिट याचिका सं0-23164/2016 यू0पी0 कालेज आफ पालीटेक्निक फार रिसर्च, सहारनपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	17.83820 लाख
11	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में अध्ययनरत श्री सुनील कुमार सोनकर पुत्र श्री राम खिलावन सोनकर की वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	35,400/-
12	राजेन्द्र डिग्री कालेज, इलाहाबाद में अध्ययनरत कु0 सुनीता पुत्री श्री राजबहादुर की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	57,610/-
13	सुश्री प्रीति सिंह पुत्री श्री राजपाल सिंह, बी0डी0एस0 छात्रा, कालका डेण्टल कालेज, मेरठ की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	1.85400 लाख
14	सुश्री सोनी रावत पुत्री श्री नौमीलाल रावत की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	रू0 3,625/-
15	श्री जय प्रताप रवि पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार, बी0टेक0 छात्र, आर0आर0 इंस्टीट्यूट आफ माडर्न टेक्नालाजी, लखनऊ की वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	रू0 92,500/-
16	श्री विवेक गौतम पुत्र श्री मदनलाल गौतम की वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	रू0 94,200/-
17	श्री मुनेष कुमार पुत्र श्री कुशेहर की वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	रू0 71,700/-
18	1- श्री नवीन कुमार, 2- श्री अनुज कुमार, 3- सुश्री प्रीति सागर व 4- श्री संतोश कुमार की 2013-14 व 2014-15 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	4.72310 लाख

http://shasanadesh.up.nic.in

19	श्री ध्वज कुमार सोनकर पुत्र श्री सुभाष चन्द्र सोनकर की वर्ष 2015-16 की अन्तिम 06 माह की शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	2.107 लाख
20	रिट याचिका संख्या-6850/एम0बी0/2014 तपन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।	16.38750 लाख
21	ट्रान्सलेम ग्रुप आॅफ इन्स्टीट्यूट तथा ट्रान्सलेम ग्रुप आॅफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च, मवाना रोड, मेरठ में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के 183 पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपया-99,33,900/- का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	99.339 लाख
	कुल योग-	**1075.87457**

(रू0-दस करोड़ पचहत्तर लाख सत्तासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र)

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-185/2018/2905/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।